इकाई 22 नई कृषि रणनीति

संरचना

22.0 उद्देश्य

22.1 प्रस्तावना

22.2 रणनीतिक पहलें

22.2.1 सुधारपूर्व अवधि : विहंगावलोकन

22.2.2 आर्थिक सुधार अवधि : 1990 की दशाब्दी

22.3 नई कृषि नीति : 2000

22.3.1 मुख्य विशेषताएं

22.3.2 विचाराधीन मुद्दे

22.3.2.1 धारणीय कृषि

22.3.2.2 खाद्य और पोषण सुरक्षा

22.3.2.3 प्रौद्योगिकी का सृजन और हस्तांतरण

22.3.2.4 आदान प्रबंधन

22.3.2.5 कृषि के लिए प्रोत्साहन

22.3.2.6 कृषि में निवेश

22.3.2.7 संस्थानिक संरचना

22.3.2.8 जोखिम प्रबंधन (नियंत्रण)

22.4 दसवीं और ग्यारहवीं योजना अवधियों के दौरान निष्पादन

22.4.1 संवृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं

22.4.2 विशेष पहलें और कार्यक्रम

22.5 सारांश

22.6 शब्दावली

22.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

22.8 बोध प्रश्नों के उत्तर/संकेत

22.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप :

- ''योजना'' और ''रणनीतिक योजना'' शब्दों के बीच भेद कर सकेंगे;
- सुधारपूर्व अवधि के दौरान अपनाई गई विभिन्न कृषि रणनीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकेंगे;
- 1990 के दशक के सुधारपश्च वर्षों के दौरान कृषि विकास नीतियों के पुनर्भिविन्यास करने के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण निर्दिष्ट कर सकेंगे;
- ''नई कृषि नीति'' (NAP) 2000 के उद्देश्य बता सकेंगे;

- NAP 2000 का, उसकी विशिष्ट नीतिगत विशेषताओं के अनुसार दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकेंगे;
- NAP 2000 में फोकस के अधीन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रस्तावित पथ स्पष्ट कर सकेंगे; और
- दसवीं और ग्यारहवीं योजना अवधियों के दौरान कृषि सेक्टर के कार्य निष्पादन पर 2000 के बाद के वर्षों की प्रवृत्ति का विश्लेषण कर सकेंगे।

22.1 प्रस्तावना

हम पहले ही इकाई 11 में हरित क्रांति के अधीन किए गए प्रयासों की चर्चा कर चुके हैं। हमने संक्षेप में (भाग 11.4) भी नोट किया है कि पहली हरित क्रांति अवधि के लाभों के बाद 1980 के दशक के दौरान किए गए हरित क्रांति पश्च प्रयास कम होने लगे। ये प्रयास खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना और जिन क्षेत्रों तक अभी तक हरित क्रांति नहीं पहुंची थी, वहां तक उसका विस्तार करना था। इन्हीं का ''नई कृषि नीति'' के रूप में उल्लेख किया गया है। हमने भारतीय कृषि में विविधीकरण प्रवृत्तियों पर इकाई 8 में अध्ययन किया है। यद्यपि खाद्यान्न उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य हरित क्रांति अवधि के दौरान अपनाई गई रणनीतियों द्वारा प्राप्त किया गया है, परंतु वे चुनौतियां जिनका सामना हमारा कृषि सेक्टर आर्थिक सुधार पश्च अवधि में कर रहा है, स्पष्ट रूप से भिन्न है। इसका सामना करने के लिए सरकार ने सुधार पश्च वर्षों की भिन्न-भिन्न योजना अवधियों के दौरान विभिन्न रणनीतियां बनाईं और क्रियान्वित कीं। इस इकाई में हम पहले सुधारपूर्व अवधि में लिए गए रणनीतिक पहलों के बारे में संक्षेप में ज्ञात करेंगे। फिर हम उन रणनीतिक पहलों के बारे में अधिक ज्ञात करने पर फोकस करेंगे जिन्हें नब्बे की दशाब्दी के प्रारंभ में देश में आर्थिक सुधार के प्रारंभ के बाद की अवधि में भारी चुनौतियों के सामने के संदर्भ में शुरू किया गया है। इस पर चर्चा करने से पहले हम योजना, नीति और रणनीति शब्दों के बीच विभेद करेंगे।

योजना किन्हीं उद्देश्यों को परिभाषित करने और निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुसरण किए जाने के लिए अपेक्षित कार्रवाई का ब्यौरेवार रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया है। इसमें उनकी प्राप्ति के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधनों के आबंटन के साथ-साथ लक्ष्य निर्धारित करना शामिल है। इस प्रकार योजना बौद्धिक कार्य है जो तर्कसंगत ढंग से इस तरीके में उपलब्ध उन विकल्पों में से चयन करने के प्रयास करता है जो पूर्व परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के सबसे अधिक उपयुक्त होता है। यह निर्णयकारी प्रक्रिया है जो योजनाकारों की उद्देश्यों की समझ पर आधारित होती है और इसमें व्यय के वित्तीय अनुमान शामिल होते हैं। योजना का प्रयोजन ''हम कहाँ हैं'' और ''हम कहाँ होना चाहते हैं'' के बीच अंतर को पाटना होता है। भारत में कृषि सेक्टर के विकास के लिए हमारी योजना की पहली कुछ दशाब्दियों में चार स्पष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया था। ये हैं : (i) कृषि उत्पादन बढ़ाना, (ii) रोजगार के अवसर बढ़ाना; (iii) भूमि पर आबादी का दबाव घटाना (कृषि में काम करने वाले लोगों की संख्या घटाकर) और (iv) ग्रामीण क्षेत्रों में आय असमानता घटाना। परंतु योजना का विकास अपने आप में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आबंटित वित्तीय संसाधन बहुत बार पूरी तरह

से व्यय नहीं किए जाते हैं। इसलिए योजना का वास्तविक क्रियान्वयन अत्यंत महत्त्व का है क्योंकि दोषपूर्ण क्रियान्वयन और व्यवस्था में छीजन से योजना परियोजनाओं का क्रियान्वयन त्रुटिपूर्ण रह जाता है। इस संदर्भ में नीतियां वे सामान्य दिशा-निर्देश हो जाती हैं जो निर्णय करने में मार्ग दर्शन करते हैं। नीतियों का संबंध किसी निश्चित क्षेत्र से होता है जिसके विषय में निर्णय किया जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय का क्रियान्वयन ऐसे तरीके से किया जाए जो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुकूल है। निर्णय करने के लिए मार्गदर्शन के रूप में नीतियां कुछ सीमा तक विवेकाधिकार भी होती हैं जो उन्हें नियमों से भिन्न बनाता देता है। नीति का हमेशा एक वक्तव्य के रूप में होना आवश्यक नहीं है। यह कुछ कार्य करने का अलिखित तरीका भी हो सकता है।

''नीति'' और ''रणनीति'' शब्द बहुधा पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं। परंतु फिर भी, उनके बीच अंतर है। रणनीति का संबंध बृहद् कार्य योजना से है, यह उससे भी अधिक है जो नीति में कहे जाने की आशा की गई है। इसमें यह भी विवरण होता है कि उल्लिखित उद्देश्य कैसे प्राप्त होंगे। रणनीति, उन चुनौतियों का, जो रास्ते में आ सकती हैं, सामना करते हुए उद्देश्य प्राप्ति के अवसर अधिकतम करने के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों के परिनियोजन की दिशा में निर्दिष्ट करते हुए कार्य योजना की सुस्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करती है। दूसरे शब्दों में, रणनीति एक **गेम प्लान** है जिसे यह स्थिति कि ''हम जहाँ अब हैं'' से ''हमें कहां होना चाहिए'' प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार यह उन विकल्पों को प्रतिबिंबित करता है जिन्हें योजनाकारों और प्रशासकों ने बनाया है। भारत में कृषि सेक्टर के योजना उद्देश्यों को देखते हुए अपनाई गयी रणनीतियों में शामिल हैं : (i) कृषि उत्पादन और ग्रामीण रोजगार बढ़ाने की दिशा में कार्य योजनाएं (जैसे देशभर में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों और कृषि विस्तार सेवाओं का क्रियान्वयन, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रयोग का संवर्धन, उर्वरक, पादप संरक्षण रासायन और कृषि मशीनरी तथा परिवहन का विस्तार, विपणन और ऋण आधारभूत सुविधाएँ); (ii) कृषि से कृषीत्तर कार्यों की ओर लोगों का अंतरण प्रोत्साहित कर ग्रामीण कृषीत्तर सेक्टर का विकास (जैसे कृषि उद्योगों और हस्तकला का संवर्धन); और (iii) भूमि सुधार संबंधी रणनीतियां जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता घटाना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। इस इकाई में हम उन स्पष्ट रणनीतियों में से कुछ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिन्हें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनाया गया है जिनसे कृषि सेक्टर का पिछले दो दशकों में वास्ता रहा है।

22.2 रणनीतिक पहलें

जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, रणनीति एक कार्य योजना है जिसे वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए क्रियान्वित किया जाता है, अर्थात् ''हमारी वर्तमान स्थिति'' से ''ऐसी स्थिति/परिस्थिति की ओर संचलन करना 'जहां हम होना' चाहते हैं''। इसलिए रणनीतिक पहल के लिए आवश्यक है कि इस पर अच्छी तरह से विचार किया जाए और क्रियान्वय के दौरान सावधानीपूर्वक नियंत्रण और

निगरानी की जाए। ऐसी रणनीतिक पहलों के लिए विभिन्न परिणामसूचक निर्धारित किए जा सकते हैं। ये परिणामसूचक रणनीतिक पहलों की सफलता का स्तर प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, उन पहलों और चुनौतियों के स्वरूप के आधार पर जिनका सामना किया जा रहा है, कृषि और संबद्ध सेक्टर के लिए कुछ सामान्य सूचक हो सकते हैं : (i) उत्पादन या GDP में योगदान (मूल्य के आधार पर मापा गया और उपयुक्त समय सीमा जैसे दशाब्दी या पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वृद्धि दर के रूप में व्यक्त); (ii) परिमाणात्मक रूप में उत्पादन और उत्पादकता में परिवर्तन सुनिश्चित शब्दों में व्यक्त या क्रमशः प्रति हेक्टयर/प्रति पशु के आधार पर व्यक्त); (iii) कृषि पण्य वस्तुओं के निर्यात में बढ़ती हुई प्रवृत्ति (प्रतिशत में व्यक्त); (iv) कृषि/पशुधन उत्पादन में रोज़गार में घटता हुआ अंश और कृषीत्तर सेक्टर में उसके तदनुरूप वृद्धि; (v) भिन्न-भिन्न उप-सेक्टरों/कार्यों आदि के लिए निर्धारित दरों की तुलना में प्राप्त वास्तविक वृद्धि दर) आदि। इस भाग में हम अनुसरण की गई कृषि रणनीति की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे तथा भिन्न-भिन्न योजनाओं में निश्चित प्रमुख क्षेत्रों के लिए निर्धारित भिन्न-भिन्न अवधियों में उपलब्धियां नोट करेंगे।

22.2.1 सुधारपूर्व अवधि : विहंगावलोकन

सुधारपूर्व वर्षों के दौरान अनुसरण की गई कृषि नीति को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् (i) 1950-51 से 1960 के दशक के मध्य तक की अवधि (हरित क्रांति पूर्व अवधि); (ii) 1960 के दशक से 1970 के दशक के अंत तक (हरित क्रांति नाम की अवधि); और (iii) 1980 के दशक की व्यापक प्रौद्योगिकी विस्तार की अवधि।

हरित क्रांति पूर्व अवधि (i) मुख्य कृषि संबंधी सुधार; और (ii) मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए संस्थागत परिवर्तन के लिए जानी जाती है। इस अवधि की अन्य नीतिगत पहलों में शामिल है : (i) खाद्य वितरण नेटवर्क की स्थापना; (ii) ग्राम विकास के लिए राष्ट्रव्यापी सामुदायिक विकास कार्यक्रम; (iii) भूमि उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए बंजर भूमि को कृषि के अंतर्गत लाना; (iv) सिंचित कृषि पर बल; (v) मृदा संरक्षण कार्यक्रम; (vi) सहकारी संस्थाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का विकास; (vii) सामुदायिक विकास नेटवर्क के माध्यम से प्रौद्योगिकी का प्रसार; (viii) भूमि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का अंगीकरण; (ix) विकास के लिए क्षेत्र विकास दृष्टिकोण का अंगीकरण; (x) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषीत्तर कार्यों का विस्तार, आदि। 1951-61 की दशाब्दी के दौरान GDP में ''कृषि और संबद्ध'' सेक्टर का योगदान 2.7 प्रतिशत था। परंतु यह दशाब्दी 1961-70 के दौरान घटकर 1.5 प्रतिशत हो गया। दो अवधियों के दौरान फलों और सब्जियों के उत्पादन में रही उल्लेखनीय संवृद्धि 1951-60 में 0.6 प्रतिशत से बढ़कर 1961-70 के दौरान 5.8 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई।

हरित क्रांति अवधि 1960 के दशक के प्रारंभ के खाद्य संकट की स्थिति का प्रतिकार था। खाद्य सहायता और आयात पर बढ़ती हुई निर्भरता के कारण कृषि उत्पादन में तुरंत समाधान की बहुत व्यग्रता से खोज हो रही थी। इस अवधि में गेहूँ के और बाद में धान के बौनी नस्ल (HYV) का विकास और विस्तार देखा। ये HYV रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई के अत्यधिक अनुक्रियाशील थे

और इस रणनीति ने गेहूँ और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि से शीघ्र परिणाम उत्पन्न किए। 1965-66 से 1971-72 तक छह वर्षों की अल्प अवधि में भारतीय कृषि ने 1951-65 की तुलना में खाद्यान्न के 30 मिलियन टन की वृद्धि देखी। यह नई कृषि नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि की विशेषता थी कि देश ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त की। इस अवधि में कृषि आदान उद्योग में भी तीव्र संवृद्धि हुई। नीति क्षेत्र में अनुसंधान और विस्तार, आदान आपूर्ति, ऋण, विपणन, मूल्य समर्थन और प्रौद्योगिकी का विस्तार पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। चौथी और पांचवीं योजना अवधियों (अर्थात् 1969-74 और 1974-79 के दौरान इन क्षेत्रों पर विशिष्ट नीतिगत बल था : (i) उच्चतर सस्यन सघनता, (ii) कृषि मूल्य नीति का आविर्भाव, (iii) भूमि चकबंदी अधिनियमों और जोतों की चकबंदी सहित भूमि सुधार की दूसरी प्रावस्था, (iv) 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन, (v) क्षेत्र विकास रणनीति की निरंतरता, (vi) सूखा प्रवण क्षेत्र विकास परियोजनाएं, (vii) शुष्क भूमि खेती के लिए प्रोत्साहन, (viii) सिंचित कमाण्ड क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण और भूमि प्रबधन की समस्याओं पर ध्यान, और (ix) विशेष सिंचाई कमाण्ड क्षेत्रों में सिंचाई का आधुनिकीकरण। इन पहलों के बावजूद इस अवधि में GDP में ''कृषि और संबद्ध सेक्टर'' के योगदान में वृद्धि मामूली हो रही है। यह 1961-70 में 1.5 प्रतिशत से 1971-80 के दौरान 1.7 प्रतिशत हुआ। दो विशिष्ट क्षेत्रों, जिनमें तुलनात्मक दृष्टि से 1961-70 और 1971-80 की दो अवधियों में उच्चतर वृद्धि देखी गई, वे हैं : (i) गैर बागवानी क्षेत्र में वृद्धि 1.1 प्रतिशत से 1.6 प्रतिशत, और (ii) पशुधन में 0.4 प्रतिशत से 3.9 प्रतिशत।

हरित क्रांति पश्च अवधि का प्रारंभ 1980 के दशक के प्रारंभ से माना जाता है। इस अवधि में हरित क्रांति प्रौद्योगिकी का व्यापक विस्तार देखा गया। इसमें नए क्षेत्रों में और नई फसलों के लिए बीज उर्वरक क्रांति का तेज़ विस्तार हुआ जिससे मुख्य खाद्यान्नों में उत्पादकता वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरानः (i) कई क्षेत्रों/पॉकेटों में वास्तविक फार्म उत्पादन में वृद्धि के साथ कृषि सेक्टर में वृद्धि, (ii) साहाय्यों में पर्याप्त वृद्धि और कृषि सेक्टर को सहायता, और (iii) आधारभूत संरचना विकास के लिए कृषि में सार्वजनिक सेक्टर व्यय में गिरावट। परंतु किसानों द्वारा अधिक निजी निवेश के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधीकरण देखा गया जिससे खाद्यान्न से भिन्न उत्पादों, जैसे दूध, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, फलों और सब्जियों आदि में अधिक तेज़ संवृद्धि हुई। इस प्रकार की संवृद्धि अधिकांशतः बाजार चालित थी जिसने 1980 के दशक के दौरान कृषि GDP में संवृद्धि के लिए पर्याप्त योगदान किया। कृषि GDP में वृद्धि 1970 के दशक के दौरान 1.7 प्रतिशत से बढ़कर (1980 के दशक के दौरान 3.0 प्रतिशत हुई)। विशेषकर फसल उत्पादन (अर्थात् मुख्य कृषि) से GDP में योगदान 1.9 प्रतिशत से 3.1 प्रतिशत, मत्स्य पालन में 2.9 प्रतिशत से 5.8 प्रतिशत बढ़ा। इस अवधि के दौरान कृषि के विकास के लिए मुख्य नीतिगत बल में शामिल थे : (i) सूखा प्रवण क्षेत्र और अकृष्य भूमि विकास कार्यक्रम, (ii) हरित क्रांति लाभ से पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान, (iii) मृदा अपरदन और भूमि निम्नीकरण पर विशेष ध्यान, (iv) राष्ट्रीय जल विभाजक विकास कार्यक्रम के अधीन बढ़ावा प्राप्त करने वाले जल संरक्षण प्रयास, (v) तिलहन और दलहन विकास कार्यक्रमों का प्रारंभ और, (vi) भूमि प्रबंधन की दृष्टि से दीर्घकालिक शुरुआत।

22.2.2 आर्थिक सुधार अवधि : 1990 दशाब्दी

1990 की सुधार दशाब्दी (आठवीं योजना 1992-97) निम्नलिखित पर बल देते हुए से प्रारंभ हुई : (i) व्यापार क्षेत्र के प्राथमिकताएं : निर्यात के लिए अधिशेष कृषि उत्पादन, (ii) तिलहन क्षेत्र पर अधिक बल, (iii) कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना दृष्टिकोण का समावेश, (iv) उत्पादकता वृद्धि स्कीमों का प्रारंभ, (v) बागवानी सेक्टर का संवर्धन, (vi) ग्राम स्तर पर भूमि प्रबंधन में लोगों की सहभागिता का संस्थानीकरण, (vii) जल विभाजक विकास दृष्टिकोण पर बल, और (viii) जल विभाजक विकास कार्यक्रमों से मृदा संरक्षण का विलय नौवीं योजना (1997-2002) में कृषि को प्राथमिक सेक्टर के रूप में स्वीकार किया गया। नीति का मुख्य बल था– (i) कृषि अनुसंधान को बढ़ावा, (ii) निर्यात के लिए बागवानी फसलों पर बल, (iii) खेती के लिए कम उपयोग की गई भूमि कर्षण के अधीन लाकर अकृष्य भूमि का प्रबंधन, और (iv) ग्राम भूमि विकास के लिए प्रबंधन के परिणामस्वरूप दशाब्दी 1991-2000 के दौरान कृषि GDP में वृद्धि 3.3 प्रतिशत हुई जो 1981-90 की दशाब्दी 3.1 प्रतिशत थी। विशेषकर फलों और सब्जियों के उत्पादन में प्रभावशाली वृद्धि देखी गई। 1981-90 के दौरान इसकी संवृद्धि 2.4 प्रतिशत थी जो 1991-2000 के दौरान बढ़कर 6.00 प्रतिशत हो गई। परंतु कृषि क्षेत्र द्वारा सामना की गई चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सेक्टर खुलने के कारण गंभीर हो रही थीं। 1990 के दशक तक कृषि व्यापार राज्य व्यापार के माध्यम से होता था। यह उच्च सीमा शुल्कों और परिमात्रात्मक प्रतिबंधों द्वारा सख्ती से विनियमित किया जाता था। परंतु 1990 के दशक के मध्य में WTO समझौते से नये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए घरेलू बाजार का खोलना आवश्यक था। भारतीय कृषि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हुई। इन परिवर्धनों से सरकार वर्ष 2000 में नई कृषि नीति विवरण लाने के लिए विवश हुई। इसलिए हम इस भाग को यह नोट करते हुए समाप्त कर सकते हैं कि 1951-2000 की लंबी अवधि में भारतीय कृषि (अर्थात् कृषि और संबद्ध सेक्टर) 2.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ी, साथ ही इसके तीन उप-सेक्टर इस औसत वार्षिक संवृद्धि दर की अपेक्षा उच्चतर दर से बढ़े। ये हैं : पशुधन (3.1 प्रतिशत), फल और सब्जियां (4 प्रतिशत) और मत्स्य पालन (4.3 प्रतिशत)।

बोध प्रश्न 1

नीचे दिए स्थान में अपने प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1) ''रणनीतिक योजना'' के विभेदकारी तत्व बताइए।

.....

.....

.....

.....

2) किन्हीं चार परिणाम सूचकों का उल्लेख कीजिए जो कृषि विकास पर ''रणनीतिक नीति पहलों'' का प्रभाव प्रकट कर सकते हैं।

.....

.....

.....

.....

3) हरित क्रांति पूर्व वर्षों के दौरान नीतिगत बल के चार मुख्य क्षेत्र क्या थे?

.....

.....

.....

.....

4) हरित क्रांति पूर्व वर्षों के विशिष्ट नीतिगत पहलों का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

5) मोटे तौर पर हरित क्रांति पूर्व दो दशकों के दौरान ''कृषि और संबद्ध सेक्टरों'' द्वारा GDP में योगदान में प्रवृत्ति बताइए।

.....

.....

.....

.....

6) चौथी और पांचवीं योजना अवधियों के दौरान कृषि विकास के लिए विशिष्ट नीति पहलों का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

7) 1980 के दशक के दौरान किन कारकों ने कृषि के विविधीकरण में योगदान किया? इन दो उप-सेक्टरों की संवृद्धि कितनी थी?

.....

.....

.....

.....

8) आठवीं और नौवीं योजना अवधियों के दौरान कृषि विकास पर दिया गया विशिष्ट नीतिगत बल का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

9) कृषि के किस उपसेक्टर विशेष ने 1990 के दशक के दौरान प्रभावशाली वृद्धि दिखाई? इस संवृद्धि की परिमात्रा क्या थी?

.....

.....

.....

.....

10) उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिसने वर्ष 2000 में नई कृषि नीति विवरण लाने के लिए सरकार को बाध्य किया।

.....

.....

.....

.....

11) कुल मिलाकर आप 1951-2000 के पांच दशकों की समयावधि में भारतीय कृषि के संवृद्धि प्रोफाइल के रूप में कैसे वर्गीकरण करेंगे? किन उपसेक्टरों ने इस समस्त वृद्धि दर का बेहतर निष्पादन किया है?

.....

.....

.....

.....

22.3 नई कृषि नीति : 2000

नई कृषि नीति 2000 (NAP-2000) का सामान्य उद्देश्य वर्ष 2020 तक इस सेक्टर को 4 प्रतिशत वार्षिक से अधिक दर पर उत्पादन संवृद्धि के लिए सहायता देना है। निम्नलिखित उपायों पर आधारित बहुपक्षीय दृष्टिकोण द्वारा यह लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करना है : (i) अधिक तेज़ कृषि विकास की सहायता करने के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना सुदृढ़ करना; (ii) कृषि-व्यापार की वृद्धि तेज कर मूल्य परिवर्धन प्रोत्साहित करना; (iii) एक ओर उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर उत्पन्न करना, दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में प्रवासन निरुत्साहित करना; और (iv) घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों का ध्यान रख कर आर्थिक उदारीकरण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करना। NAP का दृष्टिकोण इस प्रकार है :

22.3.1 मुख्य विशेषताएँ

NAP 2000 में उल्लिखित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए दृष्टिकोण को नीचे उसकी सुनिश्चित विशेषताओं के अनुसार निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया है :

क) ठेका कृषि विधियों के संवर्धन द्वारा निजी सेक्टर की अधिक सहभागिता,

ख) फसल असफलता, जैसी अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NIAS) के प्रवर्तन द्वारा सहायता प्राप्त किसानों को मूल्य संरक्षण प्रदान करना,

ग) देशभर में कृषि पण्यवस्तुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध समाप्त करना,

घ) सिंचाई संभावना के इष्टतम प्रयोग के लिए देश के जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना,

ङ) संबद्ध (समवर्गों) कृषि कार्यों, जैसे बागवानी, पशुपालन, कुक्कुटपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, को उच्च प्राथमिकता देना,

च) फसल उत्पादन के लिए निश्चित बाजार सहित पूँजीप्रवाह के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करना,

छ) आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण से प्राप्त आय पर पूँजीगत लाभ कर से छूट,

ज) अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की लगातार मानीटरिंग द्वारा पण्यवस्तु कीमतों में घट-बढ़ न्यूनतम करने के उपयुक्त उपाय करना,

झ) पादप किस्मों के संरक्षण के लिए कानून बनाना,

ञ) किसानों को पर्याप्त और समयोचित तरीके से अच्छी गुणवत्ता के आदानों की आपूर्ति,

ट) ग्रामीण विद्युतीकरण को उच्च प्राथमिकता देना, और

ठ) ग्राम क्षेत्रों में कृषीत्तर रोजगार पैदा करने के लिए कृषि प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करना।

22.3.2 विचाराधीन मुद्दे

NAP में बहुमुखी रणनीति निर्दिष्ट की गई है जिसमें महत्त्वपूर्ण चिंता के कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है ताकि धारणीय और न्यायसंगत तरीके में संकल्पित संवृद्धि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निश्चित नीति विवरण विकसित किया जा सके। इसे प्राप्त करने के लिए NAP निम्नलिखित मुख्य केंद्रीय क्षेत्रों के अनुसार दिशा निर्दिष्ट करती है : (i) धारणीय कृषि, (ii) खाद्य और पोषण सुरक्षा, (iii) प्रौद्योगिकी निर्माण और हस्तांतरण, (iv) आदान प्रबंधन, (v) कृषि के लिए प्रोत्साहन, (vi) कृषि के लिए निवेश, (vii) संस्थागत संरचना और (viii) अन्य प्रबंधन सुधारों सहित जोखिम नियंत्रण।

22.3.2.1 धारणीय कृषि

NAP उल्लेख करती है कि भारत के पादप और पशु जननिक (जेनेटिक) संसाधन आधार के अपरदन और संकीर्णन ने देश की जैव विविधता को प्रभावित किया

है। इस स्थिति को सुधारने के लिए NAP ने निम्नलिखित सुस्पष्ट रणनीतियों का सुझाव दिया हैः (i) देश की विशाल कृषि जैव विविधता को सूचीबद्ध करने, तालिका बनाने और वर्गीकरण करने के लिए समयबद्ध तरीके में जननिक स्रोतों का सर्वेक्षण, (ii) उन पादप प्रजातियों का विकास करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का संवर्धन, वे हैं – (क) सूखा/परजीवी प्रतिरोधी, (ख) अधिक पोषण युक्त और कम जलभोगी, (ग) पर्यावरण की दृष्टि से अधिक मैत्रीपूर्ण तरीके में अधिक उपज देने वाले आदि। (iii) जैव पिंड, कार्बनिक और अकार्बनिक उवर्रकों के संतुलित और संयुक्त प्रयोग तथा समाकलित पोषक तत्वों और परजीवी नियंत्रण प्रणालियों द्वारा कृषि रासायनों के नियंत्रित प्रयोग के बारे में कृषि समुदाय को सुग्राही बनाना, (iv) कृषि प्रणाली में जैव मात्रा संतुलन और संवृद्धि के लिए कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन, आदि।

इस समय भारत में कृषि और संबद्ध सेक्टर के समक्ष बड़ी चुनौती जलवायु संबंधी परिवर्तनशीलता के कारण उत्पादन पर संभव प्रतिकूल प्रभाव है। यह अनुभव किया गया है कि जलवायु परिवर्तन और अत्यंत भीषण मौसमी घटनाओं के कारण प्रतिकूल प्रभाव गंभीर हो सकता है। यदि समुचित अनुकूलन और न्यूनीकरण रणनीतियां नहीं अपनाई गईं तो खाद्य वस्तुओं की कमी और बढ़ती हुई कीमतों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं जो देश की खाद्य और आजीविका सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए विशिष्ट रणनीति के रूप में भारत सरकार ने धारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया है जो फसलों और पशु पालन के क्षेत्र में उपयुक्त अनुकूलन और न्यूनीकरण उपायों द्वारा जलवायु उच्चावचन को सहन करने वाली प्रणाली में भारतीय कृषि का रूपांतरण करने का प्रयास करता है। इसे प्राप्त करने के लिए मिशन–(i) अनुसंधान और विकास कार्य संचालित करेगा, (ii) उन्नत प्रौद्योगिकी और सर्वश्रेष्ठ पद्धति अपनाएगा, (iii) भौतिक और वित्तीय, आधारभूत संरचना तथा संस्थागत ढांचा निर्मित करेगा, और (iv) सूचना सुलभता आसान बनाएगा तथा क्षमता निर्माण प्रोत्साहित करेगा। शुष्क भूमि कृषि के लिए उपयुक्त सूखा सह और परजीवी प्रतिरोधी फसल किस्मों के विकास पर फोकस होगा और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त संस्थागत सहायता सुनिश्चित करने के अलावा वर्षा प्रधान क्षेत्रों में पशुधन और मत्स्य पालन के प्रबंधन से कृषि पद्धति का समाकलन करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि धारणीय तरीके में कृषि उत्पादन बढ़ना जारी रहता है, मिशन कृषि जलवायु क्षेत्र स्तर पर रणनीतिक योजना शुरू करने, प्रयास करता है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुकूल हस्तक्षेप विकसित करने का प्रयास करता है, सूचना की आसान सुलभता और संस्थागत सहायता सुनिश्चित करने तथा भूमि से प्रयोगशाला को जोड़ने का प्रयास करता है।

22.3.2.2 खाद्य और पोषण सुरक्षा

खाद्य और कृषि आधारित उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की बढ़ती हुई मांग पूरा करने के लिए फसलों की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए क्षेत्रीय (कृषि विज्ञान, जलवायु और पर्यावरणी दशा को ध्यान में रखकर) बनाई गई रणनीति का अनुसरण किया जाएगा। पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पशुधन प्रजनन रणनीति विकसित की जाएगी जिससे दूध, गोश्त, अंडे और पशु उत्पादों की मांग पूरी हो सकेगी। सहकारी समितियों और

निजी सेक्टर द्वारा कुक्कुट पालन और डेयरी का विकास प्रोत्साहित किया जाएगा। पुष्प कृषि और बागवानी में, मुख्य बल वर्षा प्रधान और सिंचित प्रणाली के विकास पर होगी।

यह विशेष रूप से फोकस करेगा – (i) पादपरोपण फसलों, विशेषकर मूल और कंद तथा गंधीय और औषधीय पादपों के प्रोत्साहन पर, (ii) मधुमक्खी पालन पर, (iii) टिशू कल्चर प्रयोगशालाओं पर, (iv) बीज फार्मों, आदि पर। मत्स्य पालन में धारणीय जलकृषि तैयार करने तथा प्रोत्साहित करने का समाकलित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। यह विशेष रूप से देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की विशाल संभावना का लाभ उठाने के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर फोकस करेगा।

खाद्य सुरक्षा सुधारने के लिए अपनाई गई विशिष्ट रणनीति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है। यह 19 राज्यों के 311 जिलों में 2007-08 में प्रारंभ की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। मिशन के उद्देश्य हैं : (i) क्षेत्रफल के विस्तार द्वारा चावल, गेहूँ और दलहनों के उत्पादन बढ़ाना और व्यक्तिगत फार्म स्तर पर मृदा उर्वरता तथा उत्पादकता की पुनर्स्थापना द्वारा देश के कतिपय निर्धारित जिलों में धारणीय तरीके में उत्पादकता बढ़ाना, (ii) रोजगार के अवसर पैदा करना, और (iii) किसानों में विश्वास बहाल करने के लिए अलग-अलग फार्म स्तर पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। मिशन कार्यक्रम की योजना, निष्पादन और मॉनीटरिंग में सभी पणधारियों को सम्मिलित करने का प्रयास करता है। उन्नत प्रौद्योगिकियों (जैसे बीज, पोषण, पादप संरक्षण, मृदा सुधार, संसाधन संरक्षण, फार्म मशीनें और औजार) के संवर्धन और विस्तार के माध्यम से चावल, गेहूँ और दलहनों का उत्पादन क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन तक बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है।

22.3.2.3 प्रौद्योगिकी का सृजन और हस्तांतरण

प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग में, सीमांत विज्ञान जैसे बायो-टेक, दूर-वीक्षण, ऊर्जा संरक्षण आदि में परिवर्धन स्थान विशिष्ट कृषि और बागवानी फसलें विकसित करने में प्रयुक्त हो सकता है। यह दृष्टिकोण पशुधन प्रजाति और जल कृषि के विकास के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। अनुसंधान और विस्तार सहसंबंध इसके व्यापक आधार बनाने के लिए सहायक रहेंगे और फसल, पशुधन, मत्स्य पालन आधारित उत्पादन पद्धतियों को सशक्त बनाएंगे। मांग चालित उत्पादन पद्धतियों के संवर्धन के लिए KVK (कृषि विज्ञान केंद्रों), NGO (गैर-सरकारी संगठनों), किसान संगठनों, सहकारी समितियों, निगम सेक्टर आदि की भूमिका को प्रोत्साहित किया जाएगा। समुचित संरचनात्मक, प्रचालनात्मक और संस्थागत उपाय महिलाओं के सशक्तीकरण और उनकी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए शुरू किये जाएंगे ताकि आदानों, प्रौद्योगिकी और अन्य कृषि संसाधनों तक उनकी पहुंच सुधारी जा सके।

22.3.2.4 आदान प्रबंधन

जैव परजीवीनाशी, कृषि मशीनरी और उचित दर पर ऋण सहित गुणवत्ता संपन्न आदानों की पर्याप्त और ठीक समय पर आपूर्ति प्रदान करने का प्रयास होगा। कार्यक्षम पोषकों का प्रयोग, जैव और जैव उर्वरक युक्त रासायनिक उर्वरकों का संतुलित इष्टतम प्रयोग प्रोत्साहित किया जाएगा। बीजों की आपूर्ति, विशेषकर

प्राकृतिक विपत्तियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों को आपूर्ति, सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बीज तंत्र स्थापित किया जाएगा। कृषि को दक्ष और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए समुचित प्रौद्योगिकी द्वारा चयनात्मक और पारिस्थितिक मैत्रीपूर्ण फार्म मशीनरीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। व्यक्तिशः अनुसंधानकर्त्ताओं और कार्पोरेट अभिकर्त्ताओं के संपदा अधिकार की सुरक्षा करने पर फोकस के साथ निजी सेक्टर में नई किस्मों के अनुसंधान और प्रजनन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

बीजों के मामले में ''गुणवत्ता संपन्न बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए आधारभूत संरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण'' नाम की केंद्र प्रायोजित योजना दसवीं योजना के दौरान प्रारंभ की गयी थी। बीज बैंक योजना 1999-2000 में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को, विशेषकर आकस्मिकता स्थितियों के दौरान, गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और बीजों के भंडारण के लिए आधारभूत संरचना विकसित करना है। बीजों के मामले में महत्त्वपूर्ण रणनीति ''बीज ग्राम'' योजना है। 2002 की नई बीज नीति स्थानीय स्तर पर बीजों के उत्पादन और समय पर उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस योजना को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करती है।

22.3.2.5 कृषि के लिए प्रोत्साहन

कृषि में पूँजी निर्माण बढ़ाने के प्रयोजन से अनुकूल आर्थिक वातावरण बनाने के लिए (i) सेक्टरों के बीच प्रोत्साहन ढांचे में विकृतियां कृषि बनाम उद्योग के लिए व्यापार की शर्तें सुधार कर समाप्त की जाएंगी, और (ii) आवश्यक कर सुधार लागू कर विदेशी और घरेलू बाजारों का योक्तिकरण किया जाएगा। विश्व बाजारों में अनावश्यक कीमतों के उतार-चढ़ाव के प्रतिकूल प्रभाव से घरेलू उत्पादकों के संरक्षण के लिए पण्यवस्तुवार रणनीतियां बनाई जाएंगीं। इसमें विपणन के अन्य पहलुओं जैसे गुणवत्ता, विकल्प, स्वास्थ्य और जैव सुरक्षा मानकों का संवर्धन भी अंतर्निहित होगा। निर्यात संवर्धन के लिए (i) कृषि उत्पादन की विविधता, और (ii) सहयोगशील सार्वजनिक प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की दुमुखी रणनीति अपनाई जाएगी। पश्चोयुक्त में कृषि में प्रयुक्त विनिर्मित पण्यवस्तुओं पर आयात शुल्क का योक्तीकरण भी शामिल है। देशभर में घरेलू कृषि बाजार में कृषि पण्यवस्तुओं की आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाकर उदार बनाया जाएगा। अन्य प्रोत्साहन, जैसे कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर किसानों को पूँजीगत लाभ कर से छूट और कृषि सेक्टर को नियामक तथा कर संग्रहण पद्धतियों से बाहर रखने के उपाय भी अपनाए जाएंगे।

22.3.2.6 कृषि में निवेश

कृषि में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित किया जाएगा। यह मूल्य और व्यापार संबंधी सुधारों के मिश्रण द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण और कृषि आवश्यकताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति को उच्च प्राथमिकता देकर सुधारा जाएगा। इसके लिए निम्नलिखित उपाय प्रारंभ किए जाएंगे (i) निर्मित और प्रयुक्त सिंचाई संभावना के बीच अंतर समाप्त करना, (ii) सिंचाई आधारभूत संरचनाओं के आधुनिकीकरण के लिए सभी चालू परियोजनाएं पूरी करना, और (iii) कृषि प्रयोजनों के लिए ऊर्जा को नये और पुनर्नवनीय स्रोतों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। फसल कटाई के बाद की क्षतियां कम करने की दृष्टि

से कृषि उत्पादों के संरक्षण, भंडारण और परिवहन के लिए विपणन आधारभूत संरचना और तकनीकों के विकास पर उचित बल देना। PRI की सक्रिय सहभागिता और प्रत्यक्ष नियंत्रण से रियातु बाजारों की तर्ज पर उत्पादक बाजारों को पूरे देश में बढ़ावा दिया जाएगा। बाजार आसूचना की कोटि के सुधार और प्रसारण पर खास ध्यान दिया जाएगा। उत्पादक सहकारी समितियों और कंपनी सेक्टर के बीच कृषि प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना।

22.3.2.7 संस्थानिक संरचना

भारतीय कृषि में छोटे और सीमांत कृषकों की प्रधानता के कारण ग्राम विकास और भूमि सुधार की नीति निम्नलिखित पर फोकस करेगी : (i) चकबंदी, (ii) भूमिहीनों, बेरोजगारों आदि में अतिरिक्त और अकृष्य भूमि का पुनर्वितरण, (iii) काश्तकारी सुधारों के मामले में काश्तकारों और बटाईदारों के अधिकारों को मान्यता, (iv) आवश्यक कानूनी प्रावधान बनाकर जोतों के आकार में वृद्धि की अनुमति देने के लिए पट्टा बाजारों का विकास, (v) भूमि रिकार्डों का अद्यतनीकरण और कंप्यूटरीकरण और किसानों को उनकी जोतों पर पास बुक देने के अंतिम उद्देश्य से उसका कंप्यूटरीकरण और (vi) भूमि स्वामित्व के मामले में महिलाओं के अधिकारों को मान्यता। भूमि सुधारों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया PRI, स्वयंसेवी समूहों, सामाजिक सक्रियतावादियों और सामुदायिक नेताओं को सम्मिलित करेगी। संविदा खेती और भूमि पट्टा व्यवस्थाओं के माध्यम से त्वरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की अनुमति के लिए निजी सेक्टर की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। बचत, निवेश और जोखिम नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ऋण संस्थाओं को सक्रिय किया जाएगा। संस्थागत और वित्तीय दुर्बलता को समाप्त करने के लिए सहकारी समितियों को सशक्त करने के विशेष उपाय किए जाएंगे और कृषि ऋण की स्वीकृति और पुनर्वितरण की सरल प्रक्रिया विकसित की जाएगी।

22.3.2.8 जोखिम प्रबंधन (नियंत्रण)

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) के कार्यक्षेत्र में सभी किसान और सभी फसलें होंगी। प्राकृतिक विपत्तियों, कीमतों की घट-बढ़ आदि के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट से किसानों को अलग रखने के लिए अंतःनिर्मित प्रावधान होंगे। MSP की घोषणा द्वारा लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करने की प्रणाली जारी रहेगी। अनुकूल आर्थिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए मूल्य संरचना और व्यापार क्रियाविधियों की समीक्षा लगातार होती रहेगी। आपात बिक्री रोकने के लिए देशी बाजार कीमतों की निगरानी बहुत निकटता से होगी और सार्वजनिक तथा सहकारी विपणन समितियों को सुदृढ़ किया जाएगा। भावी बाजार का विस्तार सभी पण्यवस्तुओं को शामिल करने के लिए प्रभावी रूप से बढ़ाया जाएगा ताकि पण्यवस्तुओं की कीमतों में व्यापक उतार-चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम हो सके। अन्य प्रबंधन सुधारों के मामलों में केंद्रीय सरकार अंतःक्रिया विधा में निरूपित तथा राज्यों से भागीदारी की भावना से क्रियान्वित फसल/क्षेत्रफल/लक्ष्य समूह प्रयासों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करेगी। निर्यात वृद्धि के लिए उत्पादों के श्रेणीकरण और मानकीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुमानों और पूर्वानुमानों को अधिक विश्वसनीय तथा योजना और नीति निर्माण की प्रक्रिया

में उपयोगी बनाने के लिए कृषि सेक्टर का आंकड़ा संचय (डाटा बेस) सुदृढ़ किया जाएगा। किसानों के लाभ के लिए फार्मों और बाजारों से निकलने वाले संकेतों का विश्लेषण करने के लिए कृषि मूल्यों पर ''अनुक्रिया सह आंकड़ा'' संग्रह करने, मिलान करने और प्रसारित करने के लिए दूर वीक्षण और IT की तकनीकों का अधिक प्रयोग किया जाएगा।

बोध प्रश्न 2

नीचे रिक्त स्थान में अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1) NAP–2000 के चार प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

2) NAP–2000 में निर्दिष्ट विशिष्ट दृष्टिकोणों में एक बताइए जिसका उद्देश्य कृषि सेक्टर को मूल्य, बीमा, कर और बेहतर पूँजी प्रवाह के लाभ प्रदान करना है?

.....

.....

.....

.....

3) आठ प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र क्या हैं, जिसके अधीन NAP–2000 में विशिष्ट नीति विवरण विस्तार से दिया गया है?

.....

.....

.....

.....

4) NAP–2000 में देश के अस्थिरता ग्रस्त जैव विविधता आधार में संतुलन स्थापित करने के लिए किन चार विशिष्ट दृष्टिकोणों का सुझाव दिया गया है?

.....

.....

.....

.....

5) संबद्ध कृषि के बागवानी और पुष्पकृषि को बढ़ावा देने के लिए NAP–2000 में निर्दिष्ट चार प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र बताइए।

.....

.....

.....

.....

6) NAP में भारतीय कृषि में निम्नलिखित के लिए कौन-से दो विशिष्ट दृष्टिकोण/रणनीतियां निर्दिष्ट की गई हैं? (i) पूँजी निर्माण के लिए अनुकूल आर्थिक वातावरण सृजन (ii) निर्यात संवर्धन।

.....

.....

.....

.....

7) कृषि और ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए NAP–2000 में प्रारंभ किए जाने वाले किन विशिष्ट उपायों की संकल्पना की गई है?

.....

.....

.....

.....

8) भारत में ''छोटे और सीमांत किसानों'' के विशाल वर्ग की सहायता करने के लिए NAP–2000 में क्रियान्वित किए जाने वाले क्या विशिष्ट संस्थागत सुधार सुझाए गए हैं?

.....

.....

.....

.....

9) NAP–2000 में 'जोखिम प्रबंधन' की समस्या का समाधान कैसे किया जाना चाहिए?

.....

.....

.....

.....

10) किन क्षेत्रों में साझेदारी की अंतःसक्रियता की भावना कृषि विकास की नीतियों के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों से बेहतर समन्वय प्राप्त करने के लिए अनुसरण करने का प्रयास किया गया है।

.....

.....

.....

.....

22.4 दसवीं और ग्यारहवीं योजना अवधियों के दौरान निष्पादन

भाग 22.2 में आर्थिक सुधार अवधि के दौरान नीतिगत पहलों पर संक्षिप्त निर्देशात्मक चर्चा में हमने नोट किया है कि 1991-2000 की दशाब्दी के दौरान कृषि GDP की संवृद्धि 3.3 प्रतिशत थी। इसमें आठवीं योजना अवधि (1992-97) कृषि सेक्टर की संवृद्धि कहीं उच्चतर (4.8 प्रतिशत) थी परंतु नौवीं योजना अवधि (1997-2002) की कृषि संबंधी स्थिति में गिरावट के कारण इस समय के दौरान कृषि सेक्टर की संवृद्धि 2.5 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2000 तक दशकीय वृद्धि दर गिरकर 3.3 प्रतिशत थी। इसके अलावा, जैसाकि हमने पहले देखा कि सेक्टर को बढ़ाने के लिए व्यापक रणनीति लाना सरकार की विवशता थी, इसके फलस्वरूप वर्ष 2000 में सबसे पहली राष्ट्रीय नीति की घोषणा हुई।

NAP-2000 की घोषणा के अनुवर्ती वर्षों में की गई विभिन्न पहलों के बावजूद, दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002-07) के दौरान भी कृषि GDP की संवृद्धि 2.4 प्रतिशत ही रही थी। किंतु बाद में ग्यारहवीं योजना में इस सेक्टर ने 2006-11 के चार वर्षों की अवधि के दौरान वार्षिक 3.9 प्रतिशत दर पर संवृद्धि की। परंतु ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान वर्ष दर वर्ष संवृद्धि बिल्कुल भिन्न-भिन्न रही है। यद्यपि सेक्टर ने 2010-11 के दौरान अब तक की उसकी सबसे अधिक 7 प्रतिशत की दर पर संवृद्धि की (2004-05 की स्थिर कीमतों पर), परंतु 2011-12 के अनुवर्ती वर्ष में सेक्टर की संवृद्धि अचानक घटकर 2.5 प्रतिशत हो गई। यह गिरावट 2011-12 में अच्छी फसल के बावजूद थी जिसमें कुल खाद्यान्न उत्पादन ने 250.4 मिलियन टन का नया शिखर स्पर्श किया। स्पष्टतः अधिक बड़े ''कृषि और संबद्ध'' सेक्टर में संवृद्धि न केवल कुल खाद्यान्न उत्पादन द्वारा प्रभावित हुई है बल्कि उसके संबद्ध उपसेक्टरों और निष्पादन में अंतरराज्य अंतरों का प्रभाव भी रहा है। इन कारणों से संपूर्ण ग्यारहवीं योजना अवधि (2007-12) के लिए ''कृषि और संबद्ध सेक्टर'' में औसत वृद्धि लगभग 3.5 प्रतिशत रखी गई है। कृषि सेक्टर में वृद्धि पैटर्न में अस्थिरता 1990 के दशक (1.1) की तुलना में 2000 के दशक में विभिन्नता (1.6) परिणमन गुणांक द्वारा भी प्रकट हुई है। यह अंतर देश की समग्र GDP संवृद्धि की अपेक्षा कहीं अधिक (लगभग छह गुणा अधिक) है। इस प्रकार के अस्थिरता (जो जलवायु परिवर्तन (या ग्लोबल वार्मिंग) के कारण विद्यमान रहने की आशा की जाती है), कृषि (और संबद्ध) सेक्टर में दीर्घकालिक औसत वार्षिक 4 प्रतिशत वृद्धि के लिए अपेक्षित गति टिकाऊ रखना स्पष्टतः प्रत्यक्ष नीति निर्धारण के कार्य में एक बड़ी चुनौती होगी।

22.4.1 संवृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं

चूंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए कृषि का समग्र निष्पादन भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों की पहलों और उपलब्धियों पर अत्यधिक निर्भर करता है। अखिल भारतीय स्तर पर सेक्टर की वर्ष दर वर्ष वृद्धि में उपर्युक्त विशाल अंतर के स्पष्टीकरण के रूप में, हम उल्लेख कर सकते हैं कि 2000 की दशाब्दी के दौरान कुछ अधिक बड़े राज्यों के अल्प निष्पादन का इस कुल निष्पादन में योगदान रहा है। उदाहरण के लिए, 2001-09 के दौरान यद्यपि राजस्थान, गुजरात और बिहार राज्यों ने बेहतर निष्पादन (क्रमशः 8.2, 7.7 और 7.1 प्रतिशत) किया। परंतु प्रमुख राज्यों, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने (क्रमशः 2.3 और 2.4 प्रतिशत पर) घटिया निष्पादन किया। अन्य राज्य (जिन्होंने कृषि में अपने पिछले घटिया निष्पादन स्तरों से सुधार कर) मजबूत वृद्धि निष्पादन दिखाई है), उड़ीसा (3.2 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (6 प्रतिशत) तथा हिमाचल प्रदेश (5.1 प्रतिशत) हैं।

तुलनात्मक महत्त्व की एक अन्य विशेषता यह है कि आठवीं, नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधियों में क्रमशः 6.5, 5.7, 7.6 और 8.2 प्रतिशत की उच्च दर पर अर्थव्यवस्था ने प्रगति की है। किंतु कृषि सेक्टर की संवृद्धि क्रमशः 4.8, 2.5, 2.4 और 3.5 प्रतिशत की दर पर रही है। बहुत से विश्लेषणकर्त्ताओं ने उल्लेख किया है कि यह ''कृषि और संबद्ध सेक्टर'' की संवृद्धि और कुल अर्थव्यवस्था की संवृद्धि प्रवृत्ति में बढ़ता हुआ विचलन दर्शाता है। कृषि का अपेक्षाकृत हीन निष्पादन का संबंध कुछ विशिष्ट चालकों से जोड़ा गया है। ये हैं : (i) 1990 के दशक के दौरान कृषि GDP के प्रतिशत में GCFC (सकल पूँजी निर्माण) में कम सार्वजनिक निवेश (अर्थात् आठवीं और नौवीं योजना अवधियों के दौरान जब यह 10 प्रतिशत स्तर के नीचे गिर गया था (जिसे 10वीं और 11वीं योजना अवधियों के दौरान क्रमशः 12.9 और 18.7 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ाने के लिए बाद में सुधारा गया था), (ii) साहाय्यों पर अधिक व्यय, जिसका प्रभाव कृषि अनुसंधान, सिंचाई, ग्रामीण सड़कों और विद्युत में सार्वजनिक निवेश पर पड़ा, और (iii) सार्वजनिक और निजी निवेश अनुपात का बदलता हुआ ढांचा (जो 1980 के दशक में लगभग बराबर था परंतु 2000 के दशक के प्रारंभ के दौरान प्रतिकूल ढंग से बदला, इसमें 2004-05 कीमतों पर निजी निवेश सार्वजनिक निवेश के अपेक्षा बहुत अधिक था)।

22.4.2 विशेष पहलें और कार्यक्रम

2004-05 से कुछ मिशन विधा योजनाओं/पहलों द्वारा फसल और बागवानी सेक्टरों में उत्पादन बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई है। इनमें शामिल हैं : (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) (जिसे आप इकाई 19 के उपभाग 19.5.3 में पढ़ चुके हैं।), (ii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), (iii) तिलहन, दलहन, तेल ताड़ और मकई (ISO POM) की एकीकृत योजना, (iv) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM), (v) कृषि की समष्टि प्रबंधन (MMA) योजना आदि।

RKVY मुख्यतया परियोजनामुखी योजना है जिसका उद्देश्य राज्यों की कृषि जलवायुवीय दशाओं को ध्यान में रखकर राज्यों को कृषि और संबद्ध सेक्टरों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। (RKVY) के अधीन 2011-12 में बहुत नई उपयोजनाएं विशेष वित्तीय आबंटन के साथ प्रारंभ की गईं हैं। ये हैं : (i) पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति लाना (BGRaI), (ii) वर्षा प्रधान क्षेत्रों

में दलहनों के लिए 60,000 ग्रामों का समाकलित विकास, (iii) तेलताड़ क्षेत्र विस्तार पर विशेष कार्यक्रम; (iv) शहरी संकुलों के लिए सब्जी पहल, (v) सघन मकई संवर्धन द्वारा पौषणिक सुरक्षण के लिए पहल, (vi) प्रोटीन संपूरकों के लिए राष्ट्रीय मिशन, (vii) त्वरित चारा विकास कार्यक्रम, (viii) वर्षा प्रधान क्षेत्र विकास कार्यक्रम और (ix) केसर मिशन आर्थिक पुनरुद्धार कार्यक्रम। यद्यपि ये पहल कार्य अपना प्रभाव आने वाले वर्षों में दिखाएंगे, परंतु 2000 के बाद के प्रयासों ने, विशेषकर वर्ष 2006-12 के दौरान महत्त्वपूर्ण परिणाम दिए है। उदाहरण के लिए, यद्यपि 1990 की दशाब्दी (1.1 प्रतिशत) के दौरान संवृद्धि दर की तुलना में दशाब्दी 2001-02 (2.2 प्रतिशत) के दौरान संवृद्धि दर के आधार पर कुल ''खाद्यान्न'' उत्पादन दुगुना हुआ है। वर्ष 2001-12 के दौरान इसका निष्पादन 3.1 प्रतिशत था। यह प्रभाव सामान्यतः ''धान्य'' की समग्र संवृद्धि में देखा गया है। इसके अलावा, दलहनों और तिलहनों के मामले में वृद्धि वर्ष 2007-12 और 2001-11 के दौरान वार्षिक औसत वृद्धि क्रमशः 4.0 और 5.9 प्रतिशत से आधी हुई है। इसी प्रकार केंद्र प्रायोजित NHM योजनाओं के फलस्वरूप 2001-11 में अवधि में खेती के अधीन क्षेत्रफल का महत्त्वपूर्ण विस्तार हुआ है। इसके अंतर्गत बहुत-सी बागवानी फसलें, जैसे फल और सब्जियां, मसाले, पादपरोपण फसलें औषधीय और सुवासित पादप, कंद और मूल, पुष्प आदि आते हैं। बहुत-सी महिला किसानों सहित लगभग 2.93 लाख किसानों को बागवानी के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। संकुल दृष्टिकोण के साथ अग्रानुबंधन और पश्चानुबंधन सुनिश्चित कर इस योजना ने उत्पादकों को समुचित प्रतिलाभ आश्वस्त करने के लिए उत्पादन, कटाई पश्च प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन पर फोकस किया है।

तालिका 22.1 : खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रभाव : 1991-2011/12

वर्ष	खाद्यान्न	चावल	गेहूँ	धान	दलहन	तिलहन
1990-91	176.4	74.3	55.1	162.1	14.3	18.6
2000-01	196.8	85.0	69.7	185.7	11.0	18.4
2005-06	208.6	91.8	69.4	195.2	13.4	28.0
2006-07 (NFSM पूर्व)	217.3	93.4	75.8	-	14.2	
2010-11	244.8	96.0	86.9	-	18.2	32.5
2011-12	250.4	102.8	88.3	233.1	17.3	-
वृद्धि दर						
1991-01	1.1	1.4	2.4	1.4	-2.6	-0.1
2001-11	2.2	1.2	2.2	-	5.2	5.9
2001-12	2.2	1.7	2.2	2.1	4.2	-
2006-12	3.1	1.9	4.1	3.0	4.3	-
2007-12	2.9	1.9	3.1	-	4.0	-

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11, तालिका A-17 और भारतीय कृषि की स्थिति पर रिपोर्ट 2011-12 (तालिका 4.1 पृ. 90)।

टिप्पणी :

(i) संवृद्धि दर बिंदुशः मूल्यों पर आधारित है और औसत वार्षिक है।

(ii) 2009-10 सूखे का वर्ष था। इसके उत्पादन आंकड़ों में बड़ी गिरावट थी।

MMA योजना राज्यों में कृषि विकास के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप द्वारा केंद्रीय सहायता का संकेंद्रित व्यय सुनिश्चित करने के लक्ष्य से 2000-01 में प्रारंभ हुई। योजना में उन नए मानदंडों पर आधारित कोष आबंटित किए गए जिनमें राज्यों को ''सकल फसलयुक्त क्षेत्रफल'' और ''छोटे तथा सीमांत जोतों के अधीन क्षेत्रफल के लिए 100 प्रतिशत अनुदान के लिए चुना गया था। 2008-09 में MMA का संशोधन किया गया ताकि यह (i) राज्य में कृषि परिदृश्य के लिए अधिक सुसंगत हो और (ii) ''खाद्य सुरक्षा'' का बुनियादी उद्देश्य प्राप्त कर सके। इसके लिए फसल उत्पादन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित बहुत नई उपयोजनाएं भी स्वीकार की गईं।

ऋण, बीमा और सार्वजनिक निवेश : किसान साख ऋण कार्ड (KCC) योजना का प्रवर्तन वर्ष 1999 में हुआ। इसके फलस्वरूप कृषि सेक्टर में ऋण का प्रवाह बढ़ा। वित्त की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनौपचारिक सेक्टर से उधार लेने में पर्याप्त कमी आई। संस्थागत कृषि ऋण की उपलब्धता (GDP के प्रतिशत के रूप में) 2002-01 में 11.5 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 32.2 प्रतिशत हुई। इसके अलावा, 1999 में प्रारंभ की गई NAIS-योजना के अधीन 2010-11 तक कुल 176 मिलियन किसानों को बीमा सुरक्षा में सम्मिलित किया गया। फिर भी, दिए गए ऋण पर अध्ययन दिखाते हैं कि किसानों की संस्थागत ऋण की प्रणाली अभी भी ऐसे कारकों से पीड़ित है, जैसे (i) गैर किसान मैत्रीपूर्ण व्यवहार, (ii) ऋण वितरण में विलंब, और (iii) संपार्श्विक समस्याएं। बीमा पर किए गए अध्ययनों से प्रकट होता है कि इसके बीमाकृत राशि में भारी क्षेत्रीय और फसल पूर्वाग्रह है। GDP के प्रतिशत के रूप में कृषि में सार्वजनिक निवेश जो 2002-01 में 1.8 प्रतिशत के निम्न स्तर तक गिर गया था, 2006-07 में 3.7 प्रतिशत बढ़ा है।

इस प्रकार, उपर्युक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2000 से ही क्रियान्वित विशेष योजनाओं में दशक मध्य से तेजी आयी है। इसके बावजूद इन प्रयासों के आलोचनात्मक मूल्यांकन से प्रकट हुआ है कि मिशन विधा प्रयासों में भी कम उत्पादन करने वाले जिलों की अवस्थिति विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्त्वपूर्ण रणनीतिक और अनुकूली अनुसंधान से संबंधित घटकों का अभाव रहा है। इस दिशा में कमी दूर करने के लिए सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए ''कृषि अनुसंधान और शिक्षा'' पर उपाय सुझाने के लिए विशेष कार्यदल का गठन किया था। दल की रिपोर्ट ने चार क्षेत्रों में अनुसंधान रणनीति का सुझाव दिया है : (i) प्रत्याशित चुनौतियों का समाधान कर प्रौद्योगिकी प्रवाह तेज करने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान में आधारभूत और रणनीतिक अनुसंधान सुदृढ़ करना, (ii) उन्नत प्रौद्योगिकी उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनुसंधान समाकलन के विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करना, (iii) साझेदारी विधा में कृषि के रूपांतरण सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों का विस्तार करना, और (iv) विशेष प्रयासों द्वारा प्रमुख विस्तार कार्यक्रमों की सुलभता सुदृढ़ करना।

बोध प्रश्न 3

प्रश्न 2 से 7 का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1) रिक्त स्थान भरो –

   क) आठवीं योजना अवधि (1992-97) के दौरान कृषि सेक्टर में संवृद्धि दर ..... प्रतिशत थी जो नौवीं योजना अवधि (1997-2002) के दौरान ....से ..... प्रतिशत हुई।

   ख) दसवीं योजना अवधि (2002-07) के दौरान कृषि सेक्टर में संवृद्धि दर ..... प्रतिशत थी जो ग्यारहवीं योजना अवधि (2007-12) के दौरान ..... से ..... प्रतिशत हुई।

   ग) भारतीय कृषि सेक्टर में उच्चतम वृद्धि दर .....वर्ष में थी और .....संवृद्धि दर..... प्रतिशत रिकार्ड की गई।

   घ) 2001-09 की अवधि के दौरान उच्चतम कृषि संवृद्धि दर रिकार्ड करने वाले तीन राज्य ..... और हैं। तीन राज्यों में क्रमशः ....., ... और ..... प्रतिशत की संवृद्धि दर दर्ज की गई।

2) वे तीन मुख्य चालक क्या हैं जो अवधि 1992-2012 के दौरान (समग्र अर्थव्यवस्था वृद्धि दर की तुलना में) कृषि सेक्टर के अल्प निष्पादन के सापेक्ष के कारण हैं।

.....

.....

.....

.....

3) 2004 के बाद की अवधि के दौरान फल और बागवानी सेक्टरों में प्रारंभ किए गए पांच मुख्य मिशन विधा पहलों का उल्लेख कीजिए। विशेषकर 2011-12 में RKVY के अधीन प्रारंभ की गई नई उप परियोजनाएँ क्या थीं?

.....

.....

.....

.....

4) 2006 के बाद के वर्षों में किए गए उपायों के फलस्वरूप, मिशन विधा पहलों से क्या प्रमुख संवृद्धि प्रोफाइल निकाली जा सकती है?

.....

.....

.....

.....

5) दो नए मानदंड क्या हैं जिनके आधार पर MMA योजना के अधीन राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया गया? वे दो उद्देश्य क्या थे जिनसे 2008-09 में MMA योजना संशोधित की गई थी?

.....

.....

.....

.....

6) 2000 के बाद के वर्षों में कृषि को संस्थागत ऋण की उपलब्धता में प्राप्त सुधार किस सीमा तक था? इसके बावजूद किस संबंध में इस दिशा में कमियां होने का उल्लेख किया गया?

.....

.....

.....

.....

7) सरकार ने बारहवीं योजना अवधि के दौरान मिशन विधा पहलों में कमियां दूर करने के लिए क्या विशेष पहल की? चार विषय क्या थे जिन पर इस संबंध में रणनीति सुझाई गई हैं?

.....

.....

.....

.....

22.5 सारांश

भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही कृषि सेक्टर के कार्य निष्पादन सुधारने के लिए विभिन्न कृषि रणनीतियां अपनाई हैं। 1965 से पहले के वर्षों के दौरान भूमि सुधारों के प्रथम दौर और मृदा संरक्षण, सिंचाई, प्रौद्योगिकी प्रसार आदि जैसे उपाय थे। परंतु ये उपाय देश की बढ़ती हुई खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थे। इस स्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक नीति अनुक्रिया के रूप में सरकार ने हरित क्रांति उपायों का क्रियान्वयन अपनाया। 6-7 वर्षों के छोटे से अंतराल में इसने देश को अपना खाद्यान्न उत्पादन काफी बढ़ाने में सहायता की और देश खाद्य में आत्मनिर्भर बन गया। परंतु हरित क्रांति उपायों से पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अधारणीय लक्षण उत्पन्न हुए। इसके अलावा इसके लाभ देश के बहुत से क्षेत्रों तक नहीं पहुंचे। इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने 1980 के दशक के दौरान बहुत-सी बाजार चालित नीतियां अपनाईं। इससे 1980 के दशक के दौरान कृषि GDP को सम्मानजनक 3 प्रतिशत वृद्धि करने में सहायता मिली। 1990 का अनुवर्ती दशक भारतीय कृषि के लिए मुख्यतया–आर्थिक उपायों के अंगीकरण के कारण अधिक चुनौतीपूर्ण था। इस अवधि के दौरान कृषि में सार्वजनिक निवेश में तेज गिरावट भी आई। इसके

अलावा, सरकार ने NAP-2000 के नाम से ज्ञात व्यापक कृषि नीति की घोषणा की। अन्य निर्देशों में (NAP) 2000 ने वर्ष 2020 तक 4 प्रतिशत के वार्षिक औसत से संवृद्धि करने की आवश्यकता पर बल दिया। अनुवर्ती वर्षों में बहुत सी मिशन विधा पहलें प्रारंभ की गई। इन पहलों के कारण 10वीं पंचवर्षीय के दौरान दर्ज की गई अल्प कृषि वृद्धि दर अनुवर्ती ग्यारहवीं योजना अवधि (5 वर्षीय औसत वृद्धि दर लगभग 3.5 होने पर) में उत्तर दिया गया था। यदि हम ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष (अर्थात् 2012) को शामिल नहीं करें तो सेक्टर ने 2007-11 के दौरान 3.9 प्रतिशत की दूसरी उच्चतम वृद्धि दर प्राप्त की थी (8वीं योजना अवधि के दौरान उच्चतम 4.8 प्रतिशत की तुलना में)। इस अवधि के दौरान सेक्टर के निष्पादन में अत्यधिक अंतरराज्य अंतर प्रकट हुए हैं। यद्यपि यह होना सामान्य है परंतु महत्त्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से राज्यों ने 7 प्रतिशत अंक पार करने में सफलता प्राप्त की। सरकार के दृष्टिकोण में मुख्य लुप्त कड़ी की पहचान ''रणनीतिक और निदेशात्मक अनुसंधान'' के रूप में की गई। अब इस कमी को ठीक करने के लिए कदम उठाए गए हैं और आने वाले वर्षों के दौरान इसका सामना करने के लिए चौमुखी रणनीति का सुझाव दिया गया है।

22.6 शब्दावली

योजना : इसके दो घटक होते हैं: लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधन प्रदान करना।

रणनीतिक योजना : इसका संबंध लक्ष्यों सहित निर्धारित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना से है। यह नियत लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली सभी संभव बाधाओं की संकल्पना करती है और प्रत्याशित बाधाओं से निपटने के लिए क्रियान्वयन में पर्याप्त समन्वय प्रदान करती है। इससे यह आबंटित वित्तीय संसाधनों के दक्ष व्यय पर फोकस करती है।

नई कृषि नीति : इसका संबंध वर्ष 2000 तक कृषि में 4 प्रतिशत औसत वार्षिक दर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण के संबंध में सरकार की अनुक्रिया से है।

22.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1) Government of India, Agricultural Strategy for the eleventh Plan : Some Critical Issues, Planning Commission, New Delhi. [http://planningcommission.nic.in/aboutur/speech/spemsa/AgricutureStrategy.doc]

2) Government of India (2011)] Agricutural Research and aducation for the XII Five year Plan : 2012-17, Planning Commission, New Delhi.

(http://planningcommission.nic.in/aboutur/committeetwrkgrp12/agri/wgrep_research.pdf]

3) IARI, Agricultural Policy:Vision 2020, New Delhi [http://www.planningcommission.nic.in/reports/genrep/bkpap2020/24_bg2020.pdf]

4) State of Indian Agriculture:2011-12. [http://agricoop.nic.in/SIA111213312.pdf]

5) Vijay Paul Sharma (2011), India's Agricutural Development under the New economic Regime: Policy Perspective and Strategy for the 12th Five Year Plan, W.P.No. 2011-11-01, November 211, IIM, Ahmadabad. [http://www.iimahd.ernet.in/assests/snippets/workingpaperpdf/16179126012011-11-01.pdf]

22.8 बोध प्रश्नों के उत्तर/संकेत

बोध प्रश्न 1

1) देखिए भाग 22.1 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए भाग 22.2 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए उपभाग 22.2.1 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए उपभाग 22.2.1 और उत्तर दीजिए।

5) देखिए उपभाग 22.2.1 और उत्तर दीजिए।

6) देखिए उपभाग 22.2.1 और उत्तर दीजिए।

7) देखिए उपभाग 22.2.1 और उत्तर दीजिए।

8) देखिए उपभाग 22.2.2 और उत्तर दीजिए।

9) देखिए उपभाग 22.2.2 और उत्तर दीजिए।

10) देखिए उपभाग 22.2.2 और उत्तर दीजिए।

11) देखिए उपभाग 22.2.2 और उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न 2

1) देखिए भाग 22.3 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए उपभाग 22.3.1 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए उपभाग 22.3.2 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए उपभाग 22.3.2.1 और उत्तर दीजिए।

5) देखिए उपभाग 22.3.2.2 और उत्तर दीजिए।

6) देखिए उपभाग 22.3.2.5 और उत्तर दीजिए।

7) देखिए उपभाग 22.3.2.6 और उत्तर दीजिए।

8) देखिए उपभाग 22.3.2.7 और उत्तर दीजिए।

9) देखिए उपभाग 22.3.2.8 और उत्तर दीजिए।

10) देखिए उपभाग 22.3.2.8 और उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न 3

1) क) से घ) तक देखिए भाग 22.4 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए उपभाग 22.4.1 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए उपभाग 22.4.2 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए उपभाग 22.4.2 और तालिका 22.1 और उत्तर दीजिए।

5) देखिए उपभाग 22.4.2 और उत्तर दीजिए।

6) देखिए उपभाग 22.4.2 और उत्तर दीजिए।

7) देखिए उपभाग 22.4.2 और उत्तर दीजिए।